

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर-492002

क्रमांक 4185 /आर.नं.-2836/2015/सात-4, नया रायपुर, दिनांक 01 AUG 2015
प्रति,

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
एंटी करप्शन ब्यूरो,
जय-जवान पेट्रोल पंप के सामने,
जी.ई. रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय:-ट्रेप प्रकरणों में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा संपूर्ण जानकारी उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में ।

--00--

ट्रेप प्रकरणों में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा केवल इतनी जानकारी दी जाती है कि ट्रेप से संबंधित आरोपी अधि./कर्म. इस दिनांक को इतने रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और उसे विधिवत् गिरफ्तार कर मान. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । तत्पश्चात् मान. न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है । ब्यूरो द्वारा यह जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जाती है कि ट्रेप प्रकरण के आरोपी को कब, किस जेल में कितने बजे (समय) से निरूद्ध (दाखिल) किया गया एवं किस दिनांक तक कितने बजे (समय) तक तथा कितने घंटे जेल में निरूद्ध रखा गया ? उक्त संपूर्ण जानकारी के अभाव में आरोपी अधि./कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संभव नहीं हो पाती है ।

2/- अतः निवेदन है कि भविष्य में ट्रेप प्रकरणों में आरोपी अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में संपूर्ण जानकारी अर्थात् आरोपी को मान. न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं मान. न्यायालय द्वारा उसे जेल में दाखिल करने का दिनांक, समय तथा वह कितने घंटे जेल में निरूद्ध रहा? यदि जमानत पर जेल से रिहा हुए तो किस दिनांक, किस समय (बजे) जेल से रिहा हुए हैं, इत्यादि से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित शासकीय सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।

(चंद्रकांत उइके)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग



11/2/11

पृ. क्रमांक 4186/आर.नं.-2836/2015/सात-4, नया रायपुर, दिनांक 01 AUG 2015
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर.
2. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर/दुर्ग, छ.ग.
3. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़

की ओर कृपया ऐसे प्रकरण में अपने स्तर से भी जानकारी एकत्रित कर
शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विभागीय कार्यवाही
सुनिश्चित की जा सके ।


संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

